सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 16.09.2023

मारपीट, गाली गलौज तथा जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले 01 वाँछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेन्सी रायफल की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण मे थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुनीष कुमार पुत्र कनौजी लाल निवासी ग्राम पेवली थाना बकेवर जनपद इटावा ने थाना भरथऩा पर सूचना दी कि दिनांक 21.08.2023 की शाम को जब वह तहसील भरथना कामकाज करके अपने भाई व पडौसी के साथ अपने घर जा रहा था तभी पीछे से बोलेरो सवार व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर मेरे व मेरे भाई के साथ गाली गलौज करते हुये लाठी डंडो से मारपीट , गाली गलौज की गयी एवं विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुये भाग गये। जिसके संबंध मे थाना भरथना पर तत्काल मु0अ0सं0 248/23 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम दिनांक 15/16.09.2023 की रात्रि को थाना भरथना पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 248/23 मे वांछित अभियुक्त राजवीर यादव पुत्र जर्मन सिंह को पागल बाबा मन्दिर तिराहा के पास से घटना मे प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल सहित 01.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ

पकड़े गये अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरे ही गाँव के अनिल उर्फ बेटा लाल पुत्र कनौजी लाल निवासी ग्राम पेवली थाना बकेवर जनपद इटावा से पुरानी रंजिस चल रही थी, जिस कारण मैंने व मेरे अन्य साथियों ने मिलकर दिनांक 21.08.2023 को रेलवे अन्डर ब्रिज के पास एक राय होकर मारपीट गाली गलौज व जान से मारने की नियत फायरिंग कर दी थी।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना भरथना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 248/23 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि में 25/27/30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. राजवीर यादव पुत्र जर्मन सिंह निवासी ग्राम पेवली थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 45 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 248/23 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि व 25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राजवीर सिंह पुत्र जर्मन सिंह

1. मु0अ0सं0 132/2005 धारा 307 भादवि व 3(1)7 एससी/एसटी एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 225/2019 धारा 395 भादवि0 व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना बकेवर इटावा
3. मु0अ0सं0 248/2023 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि थाना भरथना जनपद इटवा

बरामदगी:-

1. 01 लाइसेन्सी रायफल 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)

पुलिस टीम:- निरीक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह राठी थाना भरथना, उ0नि0 सुरेश कुमार, उ0नि0 बृजनन्दन सिंह , हे0का0 कमलेश कुमार व का0 लोकेश कुमार ।